न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:— 34 / 2023 तारीख रजू:—26.12.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2023 / 84

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर।

—वादी

बनाम

1. कजोड़ मल पुत्र खेमचन्द रेगर, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. नाथू लाल पुत्र हनुमान मीना, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित::—

वकील वादीगण :— श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2:— एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक:—25.02.2026

दावा बाबत् इस्तकरार हक, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—
   - वादी मूल रूप से ग्राम ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा का निवासी है।
   - ग्राम ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 641 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 642 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 643 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 644 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 645 रकबा 0.58 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 है0 [illegible] की खातेदारी भूमि है।
   - तहसील चौथ का बरवाड़ा की राजस्व भूमि का भू प्रबन्ध विभाग [illegible] सर्वेक्षण गत वर्षों में किया गया था और रिकार्ड तैयार करके राजस्व विभाग को सन्

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

2002 में सुपुर्द कर दिया गया था। साबिक खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बीघा से मद नम्बर 2 में वर्णित खसरा नम्बर 641, 642, 643, 644, 645 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर बने है जिसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपि दावा के साथ पेश है।

- दिनांक 23/10/1975 को ग्राम भगवतगढ़ में ग्राम पंचायत बिन्जारी के ग्राम आन्धोली व ठेकडा की भूमि के आवंटन हेतु केम्प रखा गया। जिसमें वादी ने भी ग्राम ठेकड़ा में भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था इसमें 9 व्यक्ति ग्राम ठेकड़ा के तथा 9 ही ग्राम आन्धोली के व्यक्तियों को 5–5 बीघा भूमि का आवंटन आदेश पारित किया था। वादी के आवेदन पर विचार करने से पूर्व हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई तथा वादी को पात्र मानकर सलाह समिति ने अपनी सहमति प्रदान की थी। तत्पश्चात् वादी को साबिक खसरा नम्बर 221/2 रकबा 5 बीघा भूमि सब डिवीजन ऑफिसर, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 23/10/1975 को आवंटन आदेश जारी कर पट्टा जारी किया गया था। आवंटन आवेदन, हल्का पटवारी की रिपोर्ट, आवंटन सलाह समिति की सिफारिश व आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं आवंटन का पट्टा की प्रतिलिपि दावा के साथ पेश है।

- साबिक खसरा नम्बर 221/2 रकबा 5 बीघा पर हल्का पटवारी ने मौके पर वादी को रूबरू गवाहान भौतिक कब्जा संभला दिया जिस पर वादी के कब्जा प्राप्ति की अंगूठा निशानी हल्का पटवारी ने ली तब से वादी इस भूमि पर काश्त करता चला गया।

- वादी की वृद्धावस्था हो जाने से वादी पिछले 2 वर्षों से रेल्वे कोलोनी, सवाई माधोपुर में अपने पुत्र के पास निवास कर रहा है जिससे भूमि को काश्त नही कर पाया। वादी की तबियत पिछले दिनों ठीक हुई और जून माह 2022 में अपने खेत को संभालने आया तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आ गये और कहा इस भूमि पर हमने कब्जा कर लिया है अब इसको हम ही काश्त कर लाभ उठायेंगे। वादी ने जब समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह वादी की खातेदारी भूमि है इस पर आप (प्रतिवादी सं. 1 व 2) कैसे कब्जा कर काश्त कर सकते हो, तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये एवं एलानिया कहा कि हमने लठ्ठ के जोर पर कब्जा कर लिया है हम भूमि का नहीं छोडेंगे व वादी को काश्त नहीं करने देंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ वादी ने जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर की सेवामें अपनी जमीन आवंटन के कागजात व नामान्तकरण व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी आवटन पत्रावली नहीं मिलने से नकलें नहीं मिली परन्तु नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 05/05/1976 व जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2041 की नकल प्राप्त हुई। नामान्तकरण संख्या 115 में वादी का नाम तो कॉलम संख्या 11 में सही अंकित किया परन्तु पिता का नाम राधाकिशन के स्थान पर चून्या रेगर दर्ज कर दिया तत्पश्चात् जमाबन्दी में "हजारी पुत्र चूनिया रेगर" दर्ज कर दिया जो लिपिकीय भूल है क्योंकि वादी का आवंटी की लिस्ट में 5 नम्बर नाम है तथा क्रम संख्या 2, 3, 4 के आवंटियों की वल्दियत चून्या थी। अतः भूल से नामान्तकरण में हरजी पुत्र चून्या रेगर दर्ज हो गया तथा बाद में इसकी प्रविष्टि जमाबन्दी में हजारी पुत्र चून्या दर्ज हो गया जो वर्तमान रिकार्ड में चला आ रहा है। प्रतिलिपियां दावा के साथ पेश है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

❖ हजारी पुत्र चून्या रेगर या हरजी पुत्र चून्या रेगर नाम का व्यक्ति ग्राम ठेकड़ा में नतो सन् 1975 में था, न ही आज है इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसका कोई वजूद ही नही है पक्षकार नहीं बनाया जा सकता बल्कि वादी की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पक्षकार बनाया है साथ ही इस्तकरारहक एवं बेदखली का दावा होने से लेण्ड होल्डर तहसीलदार जी चौथ का बरवाडा को प्रतिवादी सं. 3 के रूप में पक्षकार बनाया है।

❖ वादी को यह हक हासिल है कि वह राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि के सम्बंध में माननीय न्यायालय से खातेदार काश्तगार होने की घोषणा करवाये एवं रेवेन्यू रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये, साथ की प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करें। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादान्तर्गत भूमि पर अवैध रूप से काबिज होकर काश्त करने का अधिकार एवं वादी के कब्जे काश्त में बाधा डालने का कोई कानूनी अधिकार नही है।

❖ बिनाय दावा दिनांक 15/06/2022 को पैदा हुआ जब वादी अपनी कृषि भूमि को संभालने गया व मौके पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा खुले शब्दों में वादान्तर्गत भूमि को काश्त करने की धमकी देने व लठ्ठ के जोर पर कब्जा बनाये रखने के लिए एलानिया क[illegible] से यह दावा पेश करना लाजिम आया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

❖ दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रक[illegible] डिग्री फरमाया जायें:--

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- घोषणा इस अमर की फरमाई जाये कि ग्राम ठेकड़ा पटवार हल्का बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 641 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 का खातेदार काश्तकार है।

- जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) उपरोक्त भूमि नम्बरान में काश्तकार के कॉलम में दर्ज हजारी पुत्र चुन्या हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. देह काश्त के स्थान पर वादी का हरजी पुत्र राधाकिशन जाति रेगर सा. देह खातेदार दर्ज कर रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

- प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो अवैध रूप से वादी की खातेदारी भूमि पर काबिज हो गये उन्हें मौके से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलवाया जावें।

- दौराने विचाराधीन दावा यदि प्रतिवादी सं. 1 व 2 चालाकी एवं बेईमानी पूर्वक हस्तान्तरित कर दे तो उन्हें भी बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवावे।

- प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे कि वादी के कब्जे काश्त में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बाधा न तो स्वयं पहुँचाये न ही किसी दीगर एजेन्ट हाली से पहुँचवावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये ज़ाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त समय दिया जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध दिनांक 20.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/857 दिनांक 20.05.2024 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है कि

✓ मुताबिक जमाबन्दी [illegible] ठेकडा के खसरा नम्बर 641/0.12, 642/0.10. 643/0.30, 644/0.10. 645/0.58 किता 5 रकबा 1.26 है० हजारी पुत्र चून्या जाति रैगर सा० देह के नाम राजस्थ रिकार्ड दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- ✓ हाल खसरा नम्बर 641/012, 642/0.10, 643/0.36, 644/0.10. 645/0.58 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 221 मि० रकबा 5 बीघा से बने है।
- ✓ मुताबिक आवंटन पत्र दिनांक 23.10.1975 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी स०मा० द्वारा ग्राम ठेकडा के साबिक खसरा नम्बर 221 में से 5 बीघा भूमि हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर निवासी ठेकडा के नाम आंवटित हुई थी।
- ✓ आवंटी हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आवंटित भूमि का कब्जा संभला दिया गया था।
- ✓ ग्राम ठेकडा के खसरा नम्बर 641/0.12. 642/0.10, 643/0.36. 644/0.10. 645/0.58 पर ग्रामवासियान द्वारा कजोडमल पुत्र खेमचन्द रेगर तथा नाथूलाल पुत्र हनुमान मीना निवासी ठेकडा का कब्जा होना बताया गया है।
- ✓ आवन्टन सलाहकार समिति सूची दिनांक 11.10.1975 आवंटन आदेश, कब्जा रिपोर्ट दिनांक 23.10.1975 में आवंटी का नाम हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर दर्ज है किन्तु आवंटन से गैर खातेदारी का नामा० संख्या 115 दिनांक 05.05.1976 में हरजी पुत्र चून्या दर्ज कर दिया गया। जमाबन्दी संवत 2032—35 उक्त आवंटी का नाम हजारी पुत्र चून्या कोम रेगर सा. देह दर्ज कर दिया गया, तब से अब तक हजारी पुत्र चून्या कोम रेगर राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है।
- ✓ ग्रामवासियान द्वारा हजारी पुत्र चून्या रेगर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम ठेकडा में नहीं होना बताया है।
- ✓ अतः मुताबिक सलाहकार समिति सूची दिनांक 11.10.1975, आवंटन आदेश व कब्जा रिपोर्ट दिनांक 23.10.1975 के अनुसार आवन्टी का नाम हजारी पुत्र चून्या जाति रैगर सा. ठेकड़ा के बजाय हरजी पुत्र राधाकिशन जाति रैगर किये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।

5. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जो निम्नानुसार हैं—

- ➢ <u>पी0डब्ल्यू—01</u>:— हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर।
- ➢ <u>पी0डब्ल्यू—02</u>:— हरलाल पुत्र किशनलाल रैगर, निवासी कुतलपुरा जाटान, सवाई माधोपुर।
- ➢ <u>पी0डब्ल्यू—03</u>:— हरिराम पुत्र हरदेव [illegible] निवासी रेलवे कॉलोनी, कुतलपुरा जाटान, सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- **प्रदर्श–01**:– जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम ठेकड़ा खाता संख्या 181
- **प्रदर्श–02**:– मिलान क्षेत्रफल ग्राम ठेकड़ा
- **प्रदर्श–03**:– आवंटन सूची ग्राम बिन्जारी के ग्राम ठेकड़ा व आन्धोली दिनांक 23.10.1975
- **प्रदर्श–04**:– आवंटन प्रार्थना पत्र मय पटवारी रिपोर्ट व आवंटन सहालकार समिति की रिपोर्ट व आदेश
- **प्रदर्श–05**:– आवंटन प्रपत्र
- **प्रदर्श–06**:– कब्जा देने की रिपोर्ट
- **प्रदर्श–07**:– नामान्तरकरण ग्राम ठेकड़ा नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 05.05.1976
- **प्रदर्श–08**:– जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 ग्राम ठेकड़ा खाता संख्या 165
- **प्रदर्श–09**:– जमाबंदी खतोनी ग्राम ठेकड़ा खाता संख्या 185

6. बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित कथनो का दोहरान किया।

7. मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. स्थायी जमाबंदी दिनांक 21.09.2023 वाके ग्राम ठेकड़ा खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 **(प्रदर्श–01)** के अनुसार ग्राम ठेकड़ा के खाता संख्या 181 में वादी का नाम हजारी पुत्र चून्या रेगर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल **(प्रदर्श–02)** के अनुसार स्थायी जमाबंदी दिनांक 21.09.2023 के खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 साबिक नंबर 221 से बनने की पुष्टि होती है, जो कि भूमि आवंटन प्रपत्र **(प्रदर्श 05)** के अनुसार हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर निवासी ठेकड़ा के नाम दिनांक 23.10.1975 को आवंटित हुई थी। आवंटन सूची ग्राम बिन्जारी के ग्राम ठेकड़ा व आन्धोली दिनांक 23.10.1975 **(प्रदर्श–03)**, आवंटन प्रार्थना पत्र मय पटवारी रिपोर्ट व आवंटन सहालकार समिति की रिपोर्ट व आदेश **(प्रदर्श–04)**, भूमि आवंटन प्रपत्र **(प्रदर्श 05)**, कब्जा देने की रिपोर्ट **(प्रदर्श–06)**, के अनुसार खसरा नंबर मय मिन नंबर 221/2 वादी के नाम आवंटित [illegible] परन्तु नामान्तरकरण संख्या 115 निर्णय दिनांक 05.05.1976 के [illegible] पुत्र चून्या रेगर अंकित हो गया है। ग्राम ठेकड़ा की आवंटन सूची में वादी के (क्रम संख्या 5) के ऊपर क्रम संख्या 2, 3 व 4 जो कि क्रमशः तुलस्या पुत्र चून्या रेगर, तीज्या पुत्र चून्या रेगर, एवं नाथू पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

चून्या रेगर के नाम आवंटित हुई थी। संभवतया तत्कालीन समय नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त आवंटन सूची मे क्रम संख्या 2, 3 व 4 के पिता का नाम चून्या होने के कारण क्रम संख्या 5 पर भी पिता का नाम चून्या दर्ज हो गया था। इस कारण संभवतया वादी के पिता का नाम राधाकिशन दर्ज न किया जाकर सहवन से चून्या दर्ज होना प्रतीत होता है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है, जिसकी ताईद तहसीलदार, ने भी अपनी रिपोर्ट से की है कि मुताबिक सलाहकार समिति सूची दिनांक 11.10.1975, आवंटन आदेश व कब्जा रिपोर्ट दिनांक 23.10.1975 के अनुसार आवन्टी का नाम हजारी पुत्र चून्या जाति रैगर सा. ठेकड़ा के बजाय हरजी पुत्र राधाकिशन जाति रैगर किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

वादी द्वारा विवादित आराजीयात, जो कि वादी की खातेदारी भूमि है, पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा कब्जा कर किये गये अतिक्रमण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाने संबंधी अनुतोष चाहा है। गवाह पी0डब्ल्यू–01 व पी0डब्ल्यू–02 ने भ्वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पिछले 2–3 वर्ष पूर्व से अतिक्रमण करने की ताईद की है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर किसी भी तरह से प्रतिरोध नहीं किया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी की खातेदारी भूमि पर अतक्रमी होने की पुष्टि होती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम ठेकड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 21.09.2023 के खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 है0 में वादी का नाम हजारी पुत्र चून्या रेगर का नाम हजफ कर उसके स्थान पर हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। साथ ही उक्त विवादित आराजीयात स्थायी जमाबंदी दिनांक 21.09.2023 के खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम ठेकड़ा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलावें। ... नियमानुसार खर्चा वादी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 कुल किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

05 कुल रकबा 1.26 है0 पर वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान चौथ का बरवाडा

1. हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर।

बनाम

1. कजोड़ मल पुत्र खेमचन्द रेगर, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. नाथू लाल पुत्र हनुमान मीना, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

नम्बर मुकदमा 23 सन् 2023

दावा बाबत् इस्तकरार हक, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

वादी की ओर से **श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 25.02.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम ठेकड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 21.09.2023 के खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 है0 में वादी का नाम हजारी पुत्र चून्या रेगर का नाम हजफ कर उसके स्थान पर हरजी पुत्र राधाकिशन रेगर दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। साथ ही उक्त विवादित आराजीयात स्थायी जमाबंदी दिनांक 21.09.2023 के खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम ठेकड़ा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलावें। कब्जा संभलाने का नियमानुसार खर्चा वादी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 641, 642, 643, 644 व 645 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 है0 पर वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। पक्षकारान अपना खर्चा स्वंयं वहन करे।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:52 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)